न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 39/2016 **दायरा दिनांक : 19.01.2016**

उनवान

मोडू लाल दत्तक पुत्र भैरूलाल, जाति तेली, निवासी बडगांव, तहसील अन्ता हाल मुकाम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती घीसीबाई बेवा भवानीशंकर, जाति तेली, निवासी बडगांव, तहसील अन्ता हाल मुकाम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.02.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – .../2015 निर्णय दिनांक 09.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट खातेदार कृषक के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद को सुनने एवंएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश देकर कानून के अहम पक्ष को पूर्णतया नजर अन्दाज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेंट खातेदार कृषक नहीं है । खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के पक्ष में एक पक्षीय आदेश जारी किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2015 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.10.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा स्थगन आदेश दे दिया घीसीबाई खातेदार नहीं है इसलिए हमें सुने बिना स्थगन आदेश दे दिया । धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा खातेदार ही कर सकता है । वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार हैं इसलिए दावा व टी आई निरस्त की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 07.05.92 सें स्पष्ट है कि पक्षकारान के बीच आपसी राजीनामा हो गया है, इसलिए अब निगरानी को चलाना नहीं चाहते हैं और विड्रो करना चाहते हैं । अतः जरिये विड्रोल निगरानी खारिज की जाती है ।'' सलंग्न राजीनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 हेक्टर भूमि का उपयोग व उपभोग भवानीशंकर व उसकी पत्नी घीसी बाई करेगी तथा इनके कोई सन्तान होती है तो उक्त सम्पत्ति इनके पश्चात सन्तान के नाम चली जायेगी । यदि भवानीशंकर के कोई सन्तान नहीं होती है, तो उक्त आराजी मोडूलाल के खाते में दर्ज हो जायेगी तथा शेष आराजी ग्राम धतुरिया में 5.38 हेक्टर भूमि मोडूलाल के पास रहेगी । उक्त राजीनामा रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर में तस्दीक किया हुआ है । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने केस प्राइमाफेसाई सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति की संभावना अप्रार्थी रेस्पोडेंट के पक्ष में सही मानी है । अपीलांट द्वारा राजीनामा का उल्लंघन करना पाया जाता है, जो उचित

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नहीं है । उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.06.2015 विधि सम्मत है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा